रामावतार बनाम हनुमान
2022/02
निर्णय दिनांकः—17.03.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी —सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः—2022/02

दर्ज तिथिः—01.04.2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामावतार		हनुमान आदि
जरिये अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी		जरिये अधिवक्ता श्री राजेन्द्र राजपुरोहित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश—21 नियम—11
सिविल प्रक्रिया संहिता—1908
निर्णय तिथिः—17.03.2026

—:निर्णयः—

आज यह पत्रावली प्रार्थना—पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—21 नियम—11 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि तहसीलदार, चूरू हनुमान खसरा संख्या 1049 मी. तादादी 3—18 बीघा, रामावतार 1049 मी. तादादी 3—12 बीघा, 1839/1085 मी. तादादी 0—05 बीघा, चम्पालाल महेश कुमार हुणताराम श्यामलाल नोरतमल पुत्रगण हनुमान 1049 तादादी 18 बीघा, 1 बीघा 9 बिश्वा का विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें नक्शा तरमीम करें, गलत नक्शा को दुरुस्त करें। तहसीलदार चूरू द्वारा हनुमान के हिस्सा को उत्तर साईड में दिखाने के बजाय दक्षिण साईड में दिखा दिया है इसी प्रकार रामावतार के हिस्सा को हनुमान के हिस्सा के पास उत्तर साईड में दिखाने की बजाय खेत की दक्षिण साईड में दिखा दिया है तथा चम्पालाल, महेश कुमार, हुणताराम, श्यामलाल, नोरतमल के हिस्से को खेत के दक्षिण साईड में दिखाने की बजाय उत्तर दिशा में दिखा दिया है जबकि विभाजन प्रस्ताव में खेत के उत्तर साईड में हनुमान का हिस्सा दिखाया हुआ है। न्यायालय के आदेशानुसार नक्शा तरमीम करवाकर आदेश की पालना करवाई जावे। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा इज़राय प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना—पत्र तथा पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा पारित वाद संख्या 69/2012 अन्तिम आदेश दिनांक 15.04.2013 की प्रभावी क्रियान्विति हेतु राजस्व स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है। यह भी स्पष्ट है कि अन्तिम आदेश के अनुसार प्रस्तावित नक्शा तरमीम से सम्बन्धित कार्यवाही एवं अ[illegible] प्रविष्टियाँ तहसीलदार, चूरू के स्तर पर की जानी है। अतः इजराय प्रार्थ[illegible]र तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय के अनुव[illegible] दिनांक 15.04.2013 अन्तर्गत धारा 53 ए आर.टी.ए. अनुवान रामावतार बनाम हनुमान आदि दिनांक 15.04.2013 के [illegible]क में, समस्त पक्षकारों को अवसर—ए—सुनवाई प्रदान करते हुए, विधि[illegible] नियमानुसार आवश्यक [illegible]कर नक्शा तरमीम एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:56 IST
Reason: SelfAttested

रामावतार बनाम हनुमान
2022 / 02
निर्णय दिनांकः–17.03.2026

राजस्व प्रविष्टियों के सम्बन्ध में पत्रावली को विधिवत् निस्तारित करे। इजराय पत्रावली नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार, चूरू को भिजवाई जावे।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.03.2026 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युंक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:56 IST
Reason: SelfAttested